भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.nic.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.nic.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 04/ 2017

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 30.03.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 30.03.2017 Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 134वीं बैठक दिनांक 30.03.2017 को 1530 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 134th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 15.30 hrs on 30.03.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
2. Aneish P. Rajan, Deputy Commissioner
3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
4. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
5. Bhuvanachandran P., Scientist ‘D’, NIC
6. C.T.Suja, Superintendent of Customs
7. Gomathy G., Superintendent of Customs
8. Baiju Daniel, Appraising officer

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1	Raj Vinod, Cochin Port Trust
2	Jimmy George, Cochin Port Trust
3	Dr.Jesto George, FSSAI
4	Dipin Kayyath, DP World
5	Rakesh K C CFS, CICFS
6	K.Suresh Babu, CFS (CPT)
7	A. A. Fernadez, CCHAA
8	A. A. Abdul Azees, CCHAA
9	M. Krishnakumar, CSAA
10	J.Jayaprakash Naiken, CSAA
11	Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India
12	N.N.Menon, EPC for EOU & SEZ
13	P.M. Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce
14	A.K Vijayakumar, FIEO
15	Dr.Vrushi, AQCS
16	V.T.Jadhav, Textile Committee
17	R.S.Arora, Plant Quarantine Station
18	Paul J Kocheril, CIAL

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

<u>चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु</u>

<u>FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION</u>

बिंदु सं. 1 : अस्थाई आगम पत्रों के मूल्यांकन को अंतिम रूप देना (सीसीबीए)

Point No.1. FINALISATION OF ASSESSMENT OF PROVISIONAL BILLS OF ENTRY(CCBA)

सीसीबीए के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया कि सीमाशुल्क अधिनियम के प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, आयातक को विलंब से शुल्क का भुगतान करने पर ब्याज भी देना होगा और मूल्यांकन के 24 घंटे बाद शुल्क के इस प्रावधान की शुरुआत हो जाती है। अस्थाई रूप से मूल्यांकित बिलों के मामले में, चूंकि शुल्क के भुगतान के लिए माल के अस्थाई रूप से मूल्यांकन करने से पहले आयातक को बोण्ड/ बैंक गारंटी आदि प्रस्तुत करना पड़ता है, और बैंक गारंटी लेने और बोण्ड तैयार करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि अस्थाई बिलों के मामले में ब्याज का प्रावधान निर्धारित 24 घंटे के स्थान पर बोण्ड/ बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद शुरू होना चाहिए।

The representatives of CCBA submitted that as per the proposed changes brought in the Customs Act, Importer has to pay interest on delayed payment of duty and thee duty clause starts after 24 hours of assessment. In the case of provisionally assessed bills, as the Importer needs to submit Bond/ Bank Guarantee before the goods are provisionally assessed for payment of duty and as the process of taking Bank Guarantee and preparation of Bond is a time consuming process, they requested that in the case of provisional bills interest clause should start after submission of Bond /BG instead of 24 hours, as prescribed.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उनके इस अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए परिवर्तन में, पूर्व आगम पत्रों को दायर करने और कारगो के पहुंचने से पहले ही शुल्क का भुगतान करने का भी प्रावधान है। सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, जहां भी लागू है, आयातक ऐसे ब्याज जैसी देयताओं से बचने के लिए बोण्ड और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से पहले ही मूल्यांकित मूल्य पर शुल्क का भुगतान कर सकता है।

The Chair informed that their request on this line cannot be considered as, in the new change, there is provision for filing prior Bills of Entry and also payment of duty well before the arrival of cargo. As permissible under section 46 of Customs Act, importer can pay the duty on the assessed value prior to submission of Bond and Bank Guarantee wherever applicable to avoid liability such as interest.

बिंदु सं.2 : आईसीटीटी वल्लारपाडम में आर.एम.एस. सुविधा केंद्र के लिए अनुरोध (सीसीबीए)

Point No.2. REQUEST FOR RMS FACILITATION CENTRE AT ICTT VALLARPADAM(CCBA)

सीसीबीए ने अनुरोध कि आईसीटीटी वल्लारपाडम में आयात के लिए भी आर.एम.एस. सुविधा केंद्र उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, ताकि निर्यात कारगो के समान, सिस्टम द्वारा मूल्यांकित किए अनुसार आगम पत्रों, जिनको परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, का प्रिंट आउट आईसीटीटी में ही प्राप्त किया जा सके।

The CCBA requested that RMS Facilitation Centre should be made available in ICTT Vallarpadam for Import also, so that the print out of Bills of Entry as assessed by the System, for which examination of cargo is not required, can be obtained at ICTT itself as in the case of Export cargo.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भारत में कहीं भी पोर्ट के अंदर आर.एम.एस. सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, यह या तो सीमाशुल्क गृह में या निर्दिष्ट सीएफएस में प्रदान की जाती है। आरएमएस सुविधा प्राप्त बिलों का यह मतलब नहीं है कि इस सामान को पीक्यू/एफएसएसएआई/एक्यू/टीओडी आदि द्वारा परीक्षण/जांच से छूट प्राप्त है, क्योंकि निकासी प्राप्त करने से पहले इस कारगो को इन एजेंसियों के परीक्षण से गुज़रना पड़ता है। कोचिन में सीएफएस क्यू 10 निर्दिष्ट सीएफएस है।

The Chair stated that no where in India, RMS facilitation is provided inside the port; it is provided either in Custom House or in a designated CFS. RMS facilitated Bills does not mean that the goods are exempted from examination for clearance by PQ/FSSAI/AQ/TOD etc. as the cargo has to undergo examination by these agencies before getting clearance. . In Cochin, CFS Q10 is the designated CFS.

बिंदु सं. 3 : डीपीडी कंटेनरों के लिए आईसीटीटी में अलग स्टैक के लिए अनुरोध (सीसीबीए)

Point No.3. REQUEST FOR A SEPARATE STACK IN ICTT FOR DPD CONTAINERS (CCBA)

सीसीबीए ने आईसीटीटी वल्लारपाडम में, जहां भी आवश्यकता हो, स्केनिंग/परीक्षण सुविधाओं के सहित डीपीडी कंटेनरों के लिए अलग स्टैक का अनुरोध किया।

The CCBA requested for a separate stack for DPD containers in the ICTT vallarpadam with facility for scanning / examination wherever necessary.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह लॉजिस्टिक किस्म का मामला है इसलिए इसे डीपी वर्ल्ड के प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए। हालांकि, मुंबई में डीपीडी कंटेनरों के लिए अलग से स्टैकिंग एरिया है।

The Chair informed that this is an issue of logistical nature and hence, the same may be taken up with the authorities of DP world. However, in Mumbai, they have separate stacking area for DPD containers.

बिंदु सं. 4 : 'ईपी कॉपी / एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी को खत्म करने' के परिणाम स्परूप अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (सीसीबीए)

<u>Point No.4. PROCEDURE TO BE FOLLOWED CONSEQUENT TO 'DOING AWAY WITH EP COPY /EXCHANGE CONTROL COPY' (CCBA)</u>

सीसीबीए ने कहा कि नौवहन बिलों की ईपी कॉपी और एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी को 'समाप्त करने' के संबंध में बोर्ड के परिपत्र सं. 55/2016 दिनांक 23 नवंबर, 2016 के परिणामस्वरूप, जेएनसीएच, नावा शेवा ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें निर्णय लिया है कि नौवहन बिलों की सीमाशुल्क प्रति शिपिंग लाइनों को और निर्यातक की प्रति सीमाशुल्क ब्रोकर को दी जाए, तथा यह अनुरोध किया कि कोचिन सीमाशुल्क में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

The CCBA submitted that consequent to the decision conveyed vide Boards circular No.55/2016 dated 23rd November, 2016 for 'doing away' with the EP copies and Exchange Control copies of the shipping Bills, JNCH, Nhava Sheva had issued a circular wherein it is decided to hand over the Customs copy of Shipping bill to the Shipping Lines and the Exporter copy to the Customs Broker and requested that the same procedure may be followed at Cochin Customs.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कोचिन सीमाशुल्क द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जेएनसीएच की प्रक्रिया से अलग लग रही है, इसलिए इस मामले पर विचार किया जाएगा।

The Chair informed that the issue would be looked into as the procedure followed in Cochin Customs appears to be in divergence to that which is followed by JNCH.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade

Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao)

प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II
तारीख Dated: 20. 04.2017

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. Usha)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members